


कार्यालय आदेश

राजकीय विधि महाविद्यालय, भरतपुर के विधि प्रथम वर्ष सत्र 2020-21 के समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर ने अपने आदेश कमांक F.04(3)/Exam/ALU/2020-21/2210-2285 Date 29-07-2021 द्वारा परीक्षा से पूर्व वेक्सिन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है तथा आदेश कमांक F.04(3)/Exam/ALU/2020-21/2324 Date 30-07-2021 द्वारा विधि प्रथम वर्ष सत्र 2020-21 के छात्र-छात्राओं को द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिया गया है परन्तु उनकी परीक्षा नवम्बर/दिसम्बर में होनी प्रस्तावित है।


अतः उक्त आदेश की पालना में सभी छात्र-छात्रा विधि प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अपना वेक्सिनेशन करवा ले अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है तो विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।


31.7.21
(डॉ० मनोज कुमार शर्मा)
प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय
भरतपुर
दिनांक : 31/7/2021

कमांक : राविमभ/2021/218-222

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर
2. रजिस्ट्रार, डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर
3. विधि प्रथम वर्ष सत्र 2021-21 के समस्त विद्यार्थी
4. नोटिस बोर्ड


31.7.21
(डॉ० मनोज कुमार शर्मा)
प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय
भरतपुर